10
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

फोन नं. 2708824, PBX No. 2711070 Ext No. - 2163 (for Professional)

Web site- www. uniraj. ac. in, Email. <examcontrolleruor@gmail.com>

क्रमांक– परीक्षा 6–अ / 2025 / 2591 दिनांकः 7/03/2025

समस्त निदेशक / प्राचार्य / प्राचार्या / विभागाध्यक्ष,
पी.जी. स्कूल्स / संघटक / सम्बद्ध महाविद्यालय / शैक्षणिक विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः– नियमित प्रवेशित छात्र / छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

विश्वविद्यालय अधिनियम, 144 तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु नियमित छात्र / छात्राओं द्वारा संबंधित पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से अध्ययनरत रहते हुए निर्धारित न्यूनतम 75 प्रतिशत (बी.एड. पाठ्यक्रमों की स्थिति में अध्यादेश 323 के अनुसार 80% for all course work & practicum, and 90% for school internship) उपस्थिति पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।

अतः कृपया आपके केन्द्र / महाविद्यालय / विभाग में प्रवेशित छात्र / छात्राओं को तद्नुसार परामर्श देते हुए उनके द्वारा अनिवार्य न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, अनिवार्य न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित छात्र / छात्राऐं विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बैठने हेतु नियमानुसार पात्र नहीं होंगे। अतः सम्बन्धित छात्र / छात्रा को समय–समय पर न्यूनतम उपस्थिति के सम्बन्ध में मोबाईल, ई–मेल, पत्र व सूचना पटट् तथा महाविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से सूचित करते रहे। साथ ही कृपया समस्त छात्र / छात्राओं का उपस्थिति रिकार्ड पूर्णतया संधारित किये जाने का श्रम करें ताकि विवाद की स्थिति में संबंधित उपस्थिति रिकार्डस् का नियमान्तर्गत विश्लेषण करते हुए तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

07.03.25

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक– परीक्षा 6–अ / 2025 / दिनांकः

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
2. समस्त उप कुलसचिव (नामांकन / गोपनीय / डिग्री / सैलर–। एवं ।। / विविध), रा.वि.वि., जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार जयपुर व दौसा जिले के समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रसारित करने का श्रम करे।
4. निजी सचिव, कुलपति / कुलसचिव / वित्त नियंत्रक / परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त सहायक कुलसचिव / अनुभागाधिकारी (नामांकन / गोपनीय / डिग्री / सैलर–।, ।। / विविध), रा.वि.वि., जयपुर।
6. संबंधित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को सभी महाविद्यालयों की लॉगिन आई.डी. (Login ID) एवं मेल आई.डी. पर अपलोड करने का श्रम करें।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)